पॉक्सो वाद सं0—71 / 2022

25—07—2023 आज इस वाद को संज्ञान के बिन्दु पर आदेश पारित करने हेतु उपस्थापित किया गया। इस वाद की सूचिका गुलाबी देवी की ओर से उनके निजी विद्वान अधिवक्ता द्वारा हाजरी दाखिल की गयी। पूर्व में संज्ञान के बिन्दु पर सूचिका के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक को सुना जा चुका है। इस वाद की प्राथमिकी, वाद दैनिकी, अंतिम प्रतिवेदन एवं मूल अभिलेख पॉक्सो वाद सं0—39 / 2021 का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि यह वाद मूल पॉक्सो वाद सं0—39 / 2021 का पृथक अभिलेख है तथा मूल पॉक्सो वाद सं0—39 / 2021 के एक अभियुक्त छोटन नोनियां पे0 स्व0 सुरज नोनिया के विरूद्ध दिनांक 15—11—2021 को धारा 366 (a), 323, 504/34 भा0 द0 वि0, 08 पॉक्सो एक्ट 2012 एवं 3(1)(r)(s)(w) (i)/3(2)(Va) SC/ST Act के अन्तर्गत इस न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है तथा अभियुक्त विकास कुमार, चन्दन कुमार, शैला देवी एवं चांदनी कुमार का पूरक अनुसंधान जारी रहने के कारण इनका पृथक वाद पॉक्सो वाद सं0—71 / 2022 खोला गया है। पूरक अनुसंधान पूर्ण करने के पश्चात् अनुसंधानकर्ता द्वारा इस पृथक वाद में धारा 366 (A), 323, 504/34 भा0 दं0 वि0 के अंतर्गत अंतिम प्रतिवेदन **तथ्य की भूल** समर्पित किया गया है, परन्तु मुल पॉक्सो वाद सं0—39 / 2021 एवं इस पृथक वाद की प्राथमिकी, वाद दैनिकी एवं आरोप पत्र / अंतिम प्रपत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि पृथक वाद के सिर्फ एक अभियुक्त विकास कुमार के विरूद्ध भी धारा 366 (a), 323, 504/34 भा0 द0 वि0, 08 पॉक्सो एक्ट 2012 एवं 3(1)(r)(s)(w) (i)/3(2)(Va) SC/ST Act के अंतर्गत संज्ञान लेने हेतु तथ्य मौजूद है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस पृथक वाद में समर्पित अंतिम प्रतिवेदन को अस्वीकृत करते हुए सिर्फ प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त विकास कुमार पे0 छोटन नोनियां, साकिन—बेलाव, थाना—बरबीघा, जिला—शेखपुरा के विरूद्ध धारा 366 (a), 323, 504/34 भा0 द0 वि0, 08 पॉक्सो एक्ट 2012 एवं 3(1)(r)(s)(w) (i)/3(2)(Va) SC/ST Act के अन्तर्गत अपराध का ....संज्ञान.... लिया जाता है। कार्यालय अभियुक्त विकास कुमार के विरूद्ध सम्मन निर्गत करें।

वाद दिनांक 29—08—2023 वास्ते उपस्थिति।

लेखापित,

A.D.J.-VI.